

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम



रायसिंहनगर

देवीलाल बनाम सन्तराम

किस्म मुकदमा केवियट अन्तर्गत 148 ए सीपीसी

नम्बर ...14...सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/288

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इणिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12.05.2025	<p>प्रार्थी देवीलाल पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण साकिन 5 के एसडी बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की ओर से श्री पमजीतसिंह मेहरा अधिवक्ता ने केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p> <p> 29/9/25 वकील जर्नी दाखिल। जर्नी के ज-फा में अतिरिक्ताने सबर कोई जद-फा। ज-फा प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रजा के तौर माह के रूप का समय वे युका है। इसी स्थिति में जर्नी के ज-फा पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जर्नी का ज-फा रखापुन सिपा लागू है। पत्रावली फौजले में शुमा केका दाीपत इफ्तल है। तद्विक सुनाया गया। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p>	<p>829 11/6/25</p>

